RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

जनजातीय समाज का चुनाव में सहभागिता

डॉ0 सुनीता बघेल

गेस्ट फैकल्टी राजनीति शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
जनजातीय समाज, चुनाव, सहभागिता।

***Corresponding Author**
Email: sunita.mpissr[at]gmail.com

ABSTRACT
यह समुदाय प्रारम्भ से ही जंगलों, पहाड़ों एवं दूर–दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, अशिक्षा तथा शोषण का शिकार, कृषि, उद्योग–धंधों आदि से अनभिज्ञ रहा है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है। यह समुदाय अपने सीमित संसाधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सका है और आज भी 21वीं शताब्दी की विज्ञानवादी सभ्यता की पहुँच इनसे काफी दूर है।

भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाएँ हैं। इन्हीं समुदायों में से एक है जनजातीय समुदाय, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है। इस आदिवासी समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग नामों की संज्ञा दी है। मार्टिन एवं रिजले ने इन्हें 'आदिवासी' हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियाँ' सर वेन्स ने इन्हें 'पर्वतीय आदिम जातियाँ' या वन्य जातियाँ घुरिये ने इन्हें 'पिछड़े हुए हिन्दु' तथा वनों में रहने के कारण गाँधीजी ने इन्हें 'गिरिजन' के नाम से पुकारा है। भारतीय संविधान में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से सूचीबद्ध किया गया है (पालोत, आर. सी. 1987: 1)।

यह समुदाय प्रारम्भ से ही जंगलों, पहाड़ों एवं दूर–दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, अशिक्षा तथा शोषण का शिकार, कृषि, उद्योग–धंधों आदि से अनभिज्ञ रहा है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है। यह समुदाय अपने सीमित संसाधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सका है और आज भी 21वीं शताब्दी की विज्ञानवादी सभ्यता की पहुँच इनसे काफी दूर है (गुप्ता, 2003: 1–4)।

जनजाति की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक मतभिन्नता पाई जाती है किन्तु फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें न्यूनाधिक रूप से सभी विद्वानों ने स्वीकारा है। डॉ. मजूमदार के अनुसार, ''एक जनजाति अनेक परिवारों के एक समूह का एक संकलन होता हैं, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी आदान–प्रदान का परस्पर विकास करते हैं''। डॉ. रिवर्स के अनुसार, ''जनजाति सरल प्रकार का सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य आम बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध जैसे आम उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ–साथ काम करते हैं। आर. एन. मुखर्जी के मत में, ''उस मानव समूह को जनजाति कहा जाता है जिसके सदस्य आम अभिरूचि प्रदेश, भाषा सामाजिक नियम तथा आर्थिक पेशों से बंधे होते हैं।"

इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति एक निश्चित भू–भाग में रहने वाला एक आदिम मानव समूह है जो एक सामान्य भाषा, धर्म, प्रथा परम्परा व्यवसाय और अन्य सामाजिक नियमों द्वारा एक सूत्र में बंधकर एक सामाजिक संगठन को जन्म देता है (उपाध्याय एवं पाण्डेय, 2002: 2–3)।

जनजातीय विकासः सैद्धान्तिक विवेचन

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही जनजातीय विकास का मुद्दा गहन विवाद एवं चिन्तन का विषय रहा है। 19वीं शताब्दी के अन्त तक समाज वैज्ञानिकों का मानना था कि जनजातीय विकास हेतु विशेष मानवीय प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज का निरन्तर विकास हो रहा है तथा वह एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा है। अतः जनजातियों का विकास स्वतः कालक्रमानुसार होगा। इस प्रकार उद्विकासवादी सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने जनजातियों को 'अकेले छोड़ देने' की नीति का समर्थन किया। आगे चलकर अलग–अलग रखने की नीति को डॉ. एम. सी. राय, डॉ. डी. एन. मजूमदार एवं वेरियर एल्विन ने और भी बल प्रदान किया (त्रिपाठी,1973: 8–13)।

20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में एल्विन ने अपनी पुस्तक "दि लॉज ऑफ नर्व" में स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि जनजाति जितना अधिक शहर की ओर गैर–जातीय समुदायों के निकट आएगा, उतना ही वह अपनी पहचान को संकट में डाल देगा। यह सम्पर्क उसे बिगाड़ देगा, वह बुरी आदतों की लत में फँस जाएगा और उसका सुखी जीवन विपन्नता में

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बदल जाएगा। एल्विन का आग्रह था कि सभ्य समाज अर्थात् गैर –जनजातीय समाज से पृथक रहकर ही जनजातीय समाज अपनी प्राकृतिक अवस्था में रह सकता है (राकेष, 1995: 8–12)।

इस प्रकार जनजातीय समस्याओं के निराकरण एवं जनजाति कल्याण के लिए पृथक्करण की नीति का कुछ मानवशास्त्रियों, प्रशासकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। ये लोग जनजातीय जीवन की शान्ति, सौहार्द एवं सामंजस्य को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे एवं उनको स्वयं अपने ढंग से विकसित होने का अवसर प्रदान करने के पक्ष में थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद धर्मनिरपेक्ष एवं समानतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया गया तथा पृथक्करण की नीति को त्याग कर आत्मसात्मीकरण की नीति को अपनाया गया। वेरियर ऐल्विन ने स्वयं अपने पूर्व विचारों को परिवर्तित करते हुए अपनी पुस्तक "फिलॉसफी फॉर नेफा" (1956) में कहा कि पृथक्ककरण की नीति छोटे–छोटे जनजातीय समुदाय पर ही लागू की जा सकती है न कि सम्पूर्ण जनजातीय समाज पर मैं अथवा कोई भी दूसरा मानवषास्त्री स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार की नीति को अपनाने का सुझाव नहीं दे सकता। आधुनिक युग में पृथक्करण सम्भव नहीं है और यदि सम्भव भी है तो वह वांछनीय नहीं है (त्रिपाठी, 1995: 9–12)।

अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिताका विश्लेषण करते हुए उनसे यह पूछा गया कि चुनाव के दौरान किसी पद केप्रत्याशी के चुनाव कार्य में सहयोग दिया है। चुनाव कार्य में सहयोग का तात्पर्यप्रत्याशी को वोट दिलाने के लिए मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करना, मतदाताओं कोसहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित करना, नारे लगाना, प्रकाशित सामग्री का वितरणकरना, चुनाव प्रचार करना, सभा–जुलूस का आयोजन एवं सहभागिता इत्यादि है। इसीपृष्ठभूमि में, उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। जिसे सारणी क्रमांक 5.9 मेंप्रदर्षित किया गया है।

सारणी क्रमांक 5.9
चुनाव के दौरान गतिविधि में हिस्सा

क्र सं.	गतिविधि	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिषत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिषत)
1	चुनाव सभाओं/मीटिंग/रैली में जाना	100 (55.6)	39 (65.0)
2	जुलूस/नुक्कड नाटक में भाग लेना	102 (56.7)	46 (76.7)
3	घर–घर जाकर प्रचार करना	113 (62.8)	34 (56.7)
4	चंदा दिया या इकट्टा करना	84 (46.7)	41 (68.3)
5	पर्चे बॉटना या पोस्टर लगाना	122 (67.8)	41 (68.3)

सारणी से स्पष्ट है कि 5.9 प्रतिशत जनजातीयउत्तरदाता चुनाव सभाओं/मीटिंग/रैली में भाग लेते हैं, 56.7 प्रतिषत उत्तरदाता जुलूस/नुक्कड़ नाटक में भाग लेते हैं, 62.8 प्रतिशत उत्तरदाता घर–घर जाकर प्रचार–प्रसार करते हैं, 46.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चंदा दिया या इकट्ठा करने का कार्य करते हैं और 67.8 प्रतिशत उत्तरदाता पर्चे बॉटना या पोस्टर लगाने का कार्य करते हैं। जबकि65.0 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता चुनाव सभाओं/मीटिंग/रैली में भाग लेते हैं, 76.7 प्रतिशत उत्तरदाता जुलूस/नुक्कड़ नाटक में भाग लेते हैं, 56. 7 प्रतिशत उत्तरदाता घर–घर जाकर प्रचार–प्रसार करते हैं, 68.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चंदा दिया या इकट्ठा करने का कार्य करते हैं और 68.3 प्रतिशत उत्तरदाता पर्चे बॉटना या पोस्टर लगाने का कार्य करते हैं।अतः स्पष्ट है चुनाव के दौरान विभिन्न हिस्सेदारी के सम्बंध में गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं कि सहभागिता जनजातीय उत्तरदाताओं के मुकाबले अधिक है लेकिन जनजातीय उत्तरदाताओं की सहभागिता कि स्थिति भी अच्छी है।

वोट किसे देना है, इस बात का निर्णय लेते वक्त किसकी राय/सलाह पर सबसे अधिक ध्यान

वोट किसे देना है? इस बात का निर्णय लेते वक्त किसकी राय/सलाह पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, इस प्रष्न के संदर्भ प्राप्त तथ्यों को सारणी क्रमांक 5.10 में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी क्रमांक 5.10
वोट किसे देना है, इस बात का निर्णय लेते वक्त राय/सलाह पर सबसे अधिक ध्यान

क्र. सं.	वोट देने का निर्णय	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिषत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिषत)
1	स्थानीय राजनीतिक नेता	36 (35.0)	25 (41.7)
2	पति/पत्नी	6 (3.3)	1 (1.7)
3	परिवार के अन्य सदस्य	42 (23.3)	10 (16.7)

RRIJM 2015, All Rights Reserved

4	जाति–समुदाय के नेता	17 (9.4)	4 (6.7)
5	दोस्त/पड़ोसी	39 (21.7)	12 (20.0)
6	साथ काम करने वाले	8 (4.4)	5 (8.3)
7	मैनें खुद निर्णय लिया	5 (2.8)	3 (5.0)
	कुल	180 (100)	60 (100)

सारणी क्रमांक 5.10 से स्पष्ट है कि 35.0 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता स्थानीय राजनीतिक नेता को ध्यान में रखकर वोट देने का निर्णय लेते हैं। 3.3 प्रतिशत पति/पत्नी की सलाह से वोट देने का निर्णय लेते हैं। 23.3 प्रतिषत उत्तरदाता परिवार के अन्य सदस्यों की सलाह पर चुनाव में वोट देने का निर्णय लेते हैं, 9.4 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता जाति–समुदाय के नेता की सलाह से वोट देने का निर्णय लेते हैं, 21.7 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता दोस्त/पड़ोसी की सलाह पर चुनाव में वोट देने का निर्णय लेते हैं, 4.4 प्रतिशत साथ काम करने वाले के साथ मिलकर वोट देने का निर्णय लेते हैं। 2.8 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता खुद का निर्णय से चुनावों में वोट देने का निर्णय लेते हैं। जबकि 41.7 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता स्थानीय राजनीतिक नेता को ध्यान में रखकर वोट देने का निर्णय लेते हैं। 1.7 प्रतिशत उत्तरदाता पति/पत्नी की सलाह से वोट देने का निर्णय लेते हैं। 16.7 प्रतिषत गैर–जनजातीय उत्तरदाता परिवार के अन्य सदस्यों की सलाह पर चुनाव में वोट देने का निर्णय लेते हैं, 6.7 प्रतिशत जाति–समुदाय के नेता की सलाह से वोट देने का निर्णय लेते हैं, 20.0 प्रतिशत दोस्त/पड़ोसी की सलाह पर चुनाव में वोट देने का निर्णय लेते हैं, 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता साथ काम करने वाले के साथ मिलकर वोट देने का निर्णय लेते हैं। 5.0 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता खुद का निर्णय से चुनावों में वोट देने का निर्णय लेते हैं।स्पष्ट है कि जनजातीय एवं गैर–जनजातीय उत्तरदाता स्थानीय राजनीतिक नेता को ध्यान में रखकर चुनाव में वोट देने का निर्णय लेते हैं लेकिन इसमे गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं का प्रतिषत अधिक है।

नियमित मतदान

नियमित मतदान के संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। जिसे सारणी क्रमांक 5.11 में प्रदर्षित किया गया हैं।

सारणी क्रमांक 5.11
नियमित मतदान

क्र सं.	नियमित मतदान	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिषत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिषत)
1	लोकसभा चुनाव	40 (22.2)	11 (18.3)
2	विधानसभा चुनाव	61 (33.9)	21 (35.0)
3	पंचायत चुनाव	79 (43.9)	28 (46.7)

सारणी क्रमांक 5.11 से स्पष्ट होता है कि 22.2 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता लोकसभा चुनाव में नियमित मतदान करते हैं, 33.9 प्रतिशत विधानसभा चुनावों में नियमित मतदान करते हैं, 43.9 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता पंचायत चुनावों में नियमित मतदान करते हैं। जबकि 18.3 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता लोकसभा चुनाव में नियमित मतदान करते हैं, 35.0 प्रतिशत विधानसभा चुनावों में नियमित मतदान करते हैं, जबकि 46.7 प्रतिशत गैर–जनजातीय उत्तरदाता पंचायत चुनावों में नियमित मतदान करते हैं।उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक जनजातीय उत्तरदाता एवं गैर–जनजातीय उत्तरदाता पंचायत चुनावों में नियमित मतदान करते हैं। इस प्रकार जनजातीय एवं गैर–जनजातीय सदस्यों में मतदान करने की प्रवृत्ति को लेकर ज्यादा अन्तर नही हैं।

जनजातीय समाज के लोगों का राजनीतिक सहभागिता, और सक्रियता से सम्बंधित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में सम्मिलित जनजातीय सदस्यों में आधे से अधिक परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर हमेषा चर्चा करते हैं। एक तिहाई सदस्य ऐसे हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर कभी–कभार चर्चा करते हैं। राजनीतिक चर्चा के संदर्भ में जनजातीय सदस्यों की स्थिति गैर–जनजातीय उत्तरदाताओं के समान ही हैं।

जनजातीय सदस्य किसी न किसी संगठन के सदस्य हैं। इनमें कला संगीत या षैक्षणिक संगठन, खेलकूद या मनोरंजन संबंधी संगठन, मजदूर संगठन, राजनीतिक पार्टी एवं धार्मिक संगठन प्रमुख हैं। कहा जा सकता है कि जनजातीय सदस्यों के विभिन्न संगठनों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता कि स्थिति अच्छी है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व की जानकारी के संदर्भ में जनजातीय सदस्यों को प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, स्थानीय विधायक आदि के बारे में जानकारी है। जानकारी के स्तर की गैर–जनजातीय सदस्यों से तुलना करें तो यह स्तर उनके बराबर तो नहीं लेकिन थोड़ा ठीक है।

जनवादी राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक की राजनीतिक सहभागिता व्यवस्था के प्रभावशीलता की एक आवश्यक शर्त राजनीतिक सहभागिता है। मतदान प्रणाली, ऐच्छिक संस्थाओं तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं की सदस्यता या सहभागिता के द्वारा सामूहिक स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने में सहयोग प्राप्त होता है। ग्रामसभा में सहभागिता की स्थिति के अवलोकन के सन्दर्भ में देखा जाए तो जनजातीय सदस्यों को गैर–जनजातीय सदस्यों की अपेक्षा ग्रामसभा के बारे में अधिक जानकारी है। लगभग आधे जनजातीय सदस्यों को ग्रामसभा की बैठक की नियमित सूचना मिलती है और उसमें अधिकांष सदस्य ग्रामसभा कि बैठक में नियमित भाग लेते हैं। जनजातीय सदस्यों के मुकाबले ग्रामसभा कि बैठक कि सूचना गैर–जनजातीय सदस्यों को अधिक मिलती है लेकिन उनकी सहभागिता की स्थिति जनजातीय सदस्यों के मुकाबले कम है। सर्वाधिक जनजातीय सदस्यों का मानना है कि सूचना के अभाव के कारण नियमित ग्राम सभा की बैठक में भाग नही लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सहभागिता की स्थिति ठीक है। वे किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनमें निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा, ग्राम की समस्याओं पर चर्चा एवं नई योजना की जानकारी प्राप्त करना प्रमुख है।

राजनीति रूचि के संदर्भ में देखा जाये तो अधिकतर जनजातीय सदस्य राजनीतिक में अधिक रूचि रखते हैं। चुनाव के दौरान विभिन्न हिस्सेदारी के सम्बंध में गैर–जनजातीय सदस्यों की सहभागिता जनजातीय सदस्यों के मुकाबले अधिक है। जनजातीय सदस्यों की सहभागिता की स्थिति भी अच्छी है। इनमें प्रमुख रूप से मतदान के निर्णय के संदर्भ में देखें तो जनजातीय सदस्य स्थानीय राजनीतिक नेता को ध्यान में रखकर चुनाव में वोट देने का निर्णय लेते हैं।

सर्वाधिक जनजातीय सदस्य पंचायत चुनावों में नियमित मतदान करते हैं। जनजातीय एवं गैर–जनजातीय सदस्य में मतदान करने की प्रवृत्ति को लेकर ज्यादा अन्तर नही है। सर्वाधिक जनजातीय सदस्यों ने वर्तमान लोकसभा चुनाव में विकास, भ्रष्टाचार एवं स्वास्थ्य–षिक्षा को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दों और समस्याओं को निपटाने में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं उत्तम बताया है। इस प्रकार जनजातीय सदस्यों में मुद्दों एवं दलीय राजनीतिक के प्रति झुकाव की स्थिति ठीक है।

इस लोकसभा चुनाव में वोट किसे देना हैं इसके निर्णय के आधार के संदर्भ में देखें तो अधिकतर जनजातीय सदस्यों ने पार्टी को आधार मानकर चुनाव में वोट दिया है। लगभग एक तिहाई जनजातीय सदस्यों ने बताया कि जाति–बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया एवं इस पार्टी से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते हैं इसलिये उसे वोट दिया। वहीं लगभग एक तिहाई गैर–जनजातीय सदस्यों ने बताया कि पार्टी का नेतृत्व एवं पार्टी के कार्यक्रम को देखकर वोट देते हैं। इस प्रकार जनजातीय सदस्य और गैर–जनजातीय सदस्यों में पार्टी को लेकर अलग–अलग विचारधारा है। उम्मीदवार के पक्ष में सबसे जरूरी बात पूछने पर एक चौथाई जनजातीय सदस्यों ने बताया कि इस उम्मीदवार से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते हैं, एवं गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया जबकि वहीं एक चौथाई गैर–जनजातीय सदस्यों ने बताया कि उम्मीदवार तक पहुँचना आसान हैं, उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं एवं उनकी जाति–बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया है। इस प्रकार जनजातीय सदस्य एवं गैर–जनजातीय सदस्यों की उम्मीदवार को लेकर अलग–अलग विचारधारा है।

विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सहमति जानने का प्रयास किया गया। इसमें लोकतंत्र, धर्म, जाति, आरक्षण, अल्पसंख्यक आदि राजनीतिक मुद्दे थे इसमे अधिकांष जनजातीय सदस्यों का मानना है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी चलना चाहिए। जनजातीय एवं गैर–जनजातीय सदस्यों में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के प्रति सहमति को लेकर ज्यादा अन्तर नही है।

क्या ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिससे आप अपने को नजदीक महसूस करते है, इसकी जानकारी में अधिकांष जनजातीय सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने नजदीक बताया है। पिछले पांच वर्षो में सरकारी स्कूलों, जातिगत भेदभाव, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के अवसर, बिजली की आपूर्ति के बारे में अधिकांष जनजातीय सदस्यों ने बिजली की आपूर्ति को बेहतर बताया है एवं सरकारी स्कूलों की स्थिति भी पहले से ज्यादा बेहतर बताया है।

पिछले पांच वर्षो में सरकारी योजनाओं के लाभ के संदर्भ में देखें तो आधे से अधिक जनजातीय सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं इंदिरा/राजीव आवास योजना का लाभ मिला है। विभिन्न संस्थाओं एवं पदों जैसे–प्रधानमंत्री, संसद, स्थानीय सरकार, पुलिस, मीडिया आदि पर जनजातीय सदस्यों के विष्वास के संदर्भ में देखें तो उच्च स्तर की संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर उनका विष्वास अधिक है। समस्याओं को लेकर सम्बंधितों से सम्पर्क के सन्दर्भ में जनजातीय सदस्य परम्परागत/सामुदायिक नेताओं से संपर्क करते हैं वहीं गैर–जनजातीय सदस्य, गैर–सरकारी सगठनों के प्रतिनिधि से, परम्परागत नेताओं से एवं अन्य प्रभावी व्यक्तियों से भी अपनी समस्या व सरकारी नीति संबंधित संपर्क करते हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

समाज के शिक्षित व्यक्तियों में राजनीतिक समाजीकरण एवं अभिवृत्तियों के निर्माण में समाचार पत्र की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र सूचना सम्प्रेषण का एक ऐसा साधन है जो मुख्यतः शिक्षित व्यक्ति से सम्बन्धित है।अधिकतर षिक्षित जनजातीय सदस्य समाचार पत्र नियमित न पढ़कर कभी–कभार पढ़ते हैं और वह भी स्थानीय स्तर का समाचार पत्र पढ़ते हैं। सूचना सम्प्रेषण के साधनों में इंटरनेट ई–मेल आदि का प्रयोग भी जनजातीय सदस्यों ने प्रारंभ किया है। यद्यपि यह गैर–जनजातीय सदस्य के मुकाबले बहुत कम है। अध्ययन में सम्मिलित सदस्यों द्वारा इंटरनेट का उपयोग एक विशिष्ट अभिरुचि का परिचायक है, बल्कि उनके उच्च सामाजिक और राजनीतिक विगोपन स्तर को भी सूचित करता है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि जनजातीय समुदायों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास दिनों–दिन बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस समुदाय की राजनीतिक सजगता में अभिविृद्धि हो रही है। पहले की अपेक्षा इस समुदाय का रहन–सहन, खान–पान, और अपने समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति अत्यन्त सजग और जागरूक है। यह जागरूकता उनकी राजनीतिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है। संक्षेप में आधुनिक जनजातीय समुदाय में प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व की भावना क्रमषः सषक्त हो रही है जिससे यह समुदाय षक्तिषाली बन रहा है तथा फलस्वरूप इस समुदाय की राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो रही है।

संदर्भ

1. आमण्ड, जी ए एण्ड पॉवेल, जीबी (1966), ***कम्पेरेटिव पॉलिटिक्सः ए डेवलपमेन्ट एप्रोच,***लिटिल ब्राउन एण्ड कम्पनी, बोस्टन पृ. 27।
2. आमण्ड, जी ए एण्ड वर्बा, एस (1978),***द सिविक कल्चर,*** प्रिन्सटिऑन यूनिवर्सिटी प्रिन्सटिऑन, पृ. 27।
3. अग्रवाल, सुरेश (2005), ***जनसंचार माध्यम,*** नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 12–15।
4. भाम्बरी, सी पी (1973), ***द अरबन वोटरः म्यूनिसिपल इलेक्शन इन राजस्थान. अइम्पेरिकल स्टडी,***नेशनल पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृ. 173–174।
5. चापी, एल (1971), पेरेन्टल ऑफ चिल्ड्रन न्यूज मीडिया, ***अमेरिकन बिहेवियर साइन्टिस्ट,*** पृ. 83।
6. डयूरॉल, आर ई एण्ड बीक,जे ए, (1977), ***ए पॉलिटिकल सोशलाईजेशन,*** नेल्सन, लंदन पृ. 202।
7. डॉसन, आरई एण्ड हूज, जे ए (1969), ***पॉलिटिकल सोशलाईजेशन,*** लिटिल ब्राउन एण्ड कम्पनी, बोस्टन, पृ. 289, 17।
8. देसाई, एम बी(1977), ***कम्यूनिकेशन पॉलिसीज इन इंडिया,*** यूनेस्को प्रकाशन यूनेस्को, पृ. 18–19।
9. धर्मवीर, (2008), ***राजनीतिक समाजशास्त्र,*** राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
10. ईस्टन, डी एण्ड डेनिस, जे (1969), ***चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम,*** मेग्रोहिल, न्यूयार्क, पृ. 7।
11. ईस्टन, डेविड, (1986), दी थ्योरिटिकल रिलिवेन्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाईजेशन, ***जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,*** पृ. 218।
12. गेना, सी बी (2008), ***तुलनात्मक राजनीतिक,*** विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नोएडा (यू. पी.)।
13. ग्रीनस्टीन, एफ आर(1968), पॉलिटिकल सोशलाईजेशन, *इंटरनेशनल* ***इनसायक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस,***वाल्यूम 14., न्यूयार्क।
14. ग्रीनस्टेन, (1968), पॉलिटिकल सोशलाईजेशन, ***इंटरनेशनल इनसायक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइन्सेज,***मेकमिलन एण्ड फ्री प्रेस, न्यूयार्क, पृ. 555।
15. हाइमन, एच एच (1959), ***पॉलिटिकल*** सोशलाईजेशन**,** फ्री प्रेस, पृ. 17।
16. कुप्पूस्वामी, बी (1976), ***कम्यूनिकेशन एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट इन इंडिया,***स्टर्लिंग पब्लिशर्स नई दिल्ली, पृ. 10–12।
17. लॉयड, सी एल (1967), ***कम्यूनिकेशन असेसमेन्ट एण्ड इण्टरवेंशन स्ट्रेटजीज,*** यूनिवर्सिटी पार्क प्रेस, लन्दन, पृ. 41।
18. लर्नर, डी (1958), ***द पॉसिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसायटी,*** नेल्सन पृ. 112।
19. मेथ्यूस, डी आर एण्ड प्रोथो, जे डब्ल्यू (1957), ***निग्रास एण्ड द न्यू साउथ पॉलिटिक्स,*** फ्री प्रेस, पृ. 37।
20. मैसियालस, बयीरोन जी (1969): ***एजूकेशन एण्ड दि पॉलिटिकल सिस्टम,*** एडीसन वैस्ले पब्लिशिंग कम्पनी, केलिफोर्निया पृ. 18–20।
21. मेहता, डी एस(1980), ***पब्लिक रिलेशन्स इन इंडिया,*** एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 68।
22. मेट्रान, आर के (1968), ***सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर,*** फ्री प्रेस, न्यूयार्क पृ. 119।
23. पाई, लूसियन (1972), ***कम्यूनिकेशन एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट,*** राधाकृष्ण प्रकाशन, न्यू देहली, पृ. 4।
24. रश, एम एण्ड अल्थाफ, पी एन (1971), ***इन्ट्रोडक्श टू पॉलिटिकल सोशलाईजेशन,*** नेल्सन लंदन, पृ. 160, 44।
25. रॉय, प्रशांत (1978), पॉलिटिकल सोशलाईजेशन, ***इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,*** अप्रैल–जून पृ. 136–138।
26. स्टेबी, बी (1978), ***पॉलिटिकल सोशलाईजेशन इन वैस्टर्न सोसायटी,*** अर्नोल्ड–हीनमैन, न्यू देहली पृ. 2।
27. स्टेवर्ड, एल टी (1977), ***टब्स एण्ड सिल्विया मासः ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम,*** रेन्डम हाउस पब्लिकेशन, पृ. 9–10।
28. शर्मा, एस सी (1977), ***मीडिया कम्यूनिकेशन एण्ड डेवलपमेंट,*** रावत पब्लिकेशन, जयपुर पृ. 81।
29. शर्मा, कुमुद (1985), ***राजनैतिक समाजशास्त्र,*** श्री पब्लिशिंग हाउस अजमेरी गेट दिल्ली, पृ. 198–199।